दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 30 जनवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 122

महत्वपूर्ण एवं खास

मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत, तीन गंभीर

» टीएमसी नेता पर गोलीबारी का आरोप

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित जालंगी इलाके में नागरिकता कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. इस दौरान कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. एक मृतक की पहचान अनारुल बिस्वास के रूप हुई, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। दरअसल यहां स्थानीय लोगों ने बंद का आयोजन किया था. इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख ताहिरुद्दीन शेख का काफिला वहां पहुंचा और कथित रूप से प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी. इसके बाद यहां हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने कई दोपहिया वाहनों और कारों को आग के हवाले कर दिया. टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हालांकि इन तमाम आरोपों को खारिज किया है।

पीएम ने महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे पर अफसोस जताया

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए सड़क हादसे में लोगों के मारे जाने पर अफसोस जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में सड़क हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के जल्द ही ठीक हो जाने की कामना की।

रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप एचएमएएस टुवूम्बा मुम्बई की यात्रा पर

मुंबइ (आरएनएस)। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (आरएएन) शिप एचएमएएस टुवूम्बा मुम्बई की यात्रा पर है। कमांडर रे लेग्गट, कमांडर कंबाइंड टास्क फोर्स (सीटीएफ)-150 और कमांडर मिशेल लिविंगस्टोन, कमांडिंग ऑफिसर, एचएमएएस टुवूम्बा ने चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस एडमिरल आर.बी. पंडित के साथ पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में मुलाकात की। एचएमएएस टुवूम्बा सीटीएफ-150 के परिचालन नियंत्रण के तहत इस क्षेत्र में एक विदेशी तैनाती पर है।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक में अधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है। होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्संबंधी मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रारूप पर तैयार किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के मुख्य क्रियाकलापों में शक्तियों का निर्धारण एवं नियमन करना शामिल है।

अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को स्टार प्रचारकों से किया बाहर

नईदिल्ली (आरएनएस)। भड़काऊ बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग का डंडा चला है. चुनाव आयोग ने इन दोनों को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की सूची से बाहर करने का तत्काल आदेश दिया है. चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे।

भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि हम 11 फरवरी को इस पर सुनवाई करेंगे। यह सुनवाई अब अन्य न्यायाधीश करेंगे।

1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दिलाने का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की अलग पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पांच सदस्यीय पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने मंगलवार को यह कहते हुए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था कि पहले वह इस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश हुए थे, जब सरकार ने पुनर्विचार का अनुरोध किया था। केन्द्र चाहता है कि गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिये पहले निर्धारित की गई 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के अलावा यूनियन कार्बाइड और दूसरी फर्मों को 7,844 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया जाए। यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के भोपाल स्थित संयंत्र से दो-तीन दिसंबर, 1984 को एमआईसी गैस के रिसाव के कारण हुई त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये थे और 1.02 लाख लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक श्रम बोर्ड के कामगारों की उत्पादकता संबंधी पुरस्कार योजना मंजूर

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि के लिए मौजूदा उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार योजना को कोई बदलाव/संशोधन होने तक आगे जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। इस योजना से बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डॉक के 28,821 कर्मियों/कामगारों को फायदा होगा और इस पर सालाना अनुमानित खर्च 46 करोड़ रुपये होगा। उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार राशि की गणना बोनस के लिए मौजूदा 7 हजार प्रति माह के आधार पर होगा।

साइना नेहवाल बड़ी बहन के साथ हुईं भाजपा में शामिल

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज भाजपा में शामिल हो गई हैं।

बैडमिंटन जगत में भारत को कई बड़ी जीत दिलाने वाली साइना नेहवाल आज से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। 29 साल की साइना नेहवाल आज अपनी बड़ी बहन चंद्राशु नेहवाल के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। दुनिया की पूर्व नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनकी बहन चंद्राशु को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली हैं। इस दौरान बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि आज गर्व की बात है कि साइना नेहवाल आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि आज अच्छा दिन है, मैंने कई खिताब जीते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी पार्टी में शामिल हो रही हूं, जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। मैं मेहनती खिलाड़ी हूं और मुझे उन लोगों के साथ काम करना पसंद है जो कड़ी मेहनत करते हैं।

भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत को दक्षिणी हिंद महासागर में तैनाती मिशन के दौरान मेडागास्कर के अनुरोध के आधार पर अंतसिरनाना की ओर मोड़ दिया गया है।

यह जहाज ऑपरेशन वनीला के हिस्से के रूप में मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन को शुरू करेगा। 'ऑपरेशन वनीला' को चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

पोर्ट कॉल के दौरान भारतीय दूतावास और मेडागास्कर के साथ समन्वय में इस जहाज की बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए राहत अभियान चलाने की योजना है। भारतीय नौसेना जहाज चिकित्सा शिविर स्थापित करने और भोजन, पानी तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और भारतीय नौसेना मेडागास्कर के स्थानीय लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर किए गए

पटना (आरएनएस)। जनता दल (यूनाइडेट) ने पवन वर्मा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह जानकारी दी। त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो असहनीय है। किशोर और ज्यादा नहीं गिरें, इसके लिए आवश्यक है कि वह पार्टी से मुक्त हों। इसलिए जनता दल (यू) प्रशांत किशोर और पवन शर्मा को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता समेत अन्य सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करता है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी का अनुशासन, पार्टी का निर्णय एवं पार्टी नेतृत्व के प्रति वफादारी ही दल का मूल मंत्र होता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से दल के अंदर पदाधिकारी रहते हुए प्रशांत किशोर ने कई विवादास्पद बयान दिए जो दल के निर्णय के खिलाफ थे। त्यागी ने कहा कि पवन वर्मा दल में आए और उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उससे अधिक सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिया। उनको दिए सम्मान को उन्होंने संजोने और पार्टी के प्रति समर्पित रहने की बजाय इसे पार्टी की मजबूरी समझी। पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे सार्वजनिक करना, उसमें निजी बातों का उल्लेख करना और उसे सार्वजनिक करना यह दिखाता है कि दल का अनुशासन उन्हें स्वीकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की ग्राम न्यायालय न बनाने पर राज्यों को फटकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों का गठन न करने पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि एक महीने में ग्राम न्यायालय का गठन और नोटिफाई करने का आदेश दिया है. संसद ने साल 2008 में कानून पारित किया था, जिसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का प्रावधान था ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके। यह कानून 2 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था. लेकिन यह ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी अफ्रीकी चीता लाने की अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रयोग के तौर पर सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उचित स्थान पर रखने की अनुमति दे दी है। इस चीते के वास से यह देखा जाएगा कि क्या यह भारत की जलवायु में खुद को ढाल सकता है। भारतीय चीते की प्रजाति के विलुप्त होने का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने न्यायालय ने नामीबिया से अफ्रीकी चीता लाकर भारत में बसाने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत इस परियोजना की निगरानी करेगी। पीठ ने इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में भारत के पूर्व वन्यजीव निदेशक रंजीत सिंह, भारत के वन्यजीव महानिदेशक धनंजय मोहन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्य जीव उपमहानिरीक्षक शामिल हैं। यह समिति इस मामले में फैसला करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मार्ग निर्देशन करेगी। पीठ ने कहा कि यह समिति हर चार महीने पर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को देगी। पीठ ने यह भी कहा कि अफ्रीकी चीता बसाने के बारे में उचित सर्वेक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और वन्यजीव को छोड़ने की कार्रवाई बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार काम करेगी और बड़े पैमाने पर ऐसा करने की व्यावहारिकता के बारे मे सर्वेक्षण के बाद सावधानी से स्थान का चयन किया जाएगा।

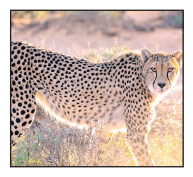

एनसीआईएम विधेयक में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 (एनसीआईएम) में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जो राज्यसभा में अभी लंबित है।

प्रस्तावित कानून से भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियामक संरचना से आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक मानकों, मूल्यांकन, आकलन और मान्यता से संबंधित कार्यों को सरल बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। एनसीआईएम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त संख्या में दक्ष चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के लिए तय मतदान के दिन 8 फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी तरह का एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के नतीजे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126(1) (ब) के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय से पहले के 48 घंटे के दौरान ओपिनयन पोल के नतीजे या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण जैसे चुनाव से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 24 जनवरी, 2020 को इससे संबंधित जारी अधिसूचना सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए यहां संलग्न कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 28 जनवरी, 2020 को प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/15/2020 के तहत पहले ही जारी कर दिया है।

ब्रेक फेल होने से 30 फीट की ऊंचाई से गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 42 घायल

भुवनेश्वर (आरएनएस)। ओडिशा में गंजम जिले के पलुखेला में तप्तपानी घाटी के पास तड़के बुधवार को एक बस पलटने से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 42 अन्य घायल हो गए।

दुर्घटना के समय बस रायगाडा से बेरहमपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि आज तड़के तीन बजे बस का ब्रेक फेल हो गया और वाहनचालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा।

दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहाना, संखेमुंडी, दिघाफंडी और बेरहमपुर से अग्निशमन दल के लगभग 50 लोग बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। दुर्घटना स्थल पर फिसलन होने के कारण अग्निशमन वाहनों को बचाव कार्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। गैस कटर जैसे आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल यात्रियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए दिगापगडंडी अस्पताल, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और बेरहमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ यात्री बस में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में बचे एक शख्स ने बताया कि बुधवार तड़के 3.30 बजे सड़क किनारे चाय पीने के बाद बस दोबारा खुली ही थी कि तभी चालक ने कहा कि ब्रेक फेल हो गया है। इसके तुरंत बाद बस पलट गई। पुलिस ने बताया कि बस करीब 30 फीट की ऊंचाई से गिरी। अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ यात्री अभी भी बस के नीचे फंसे हुए हैं। हम कुछ हाथ और पैर खिड़की से बाहर लटकते हुए देख सकते हैं।

शाहरुख खान की बहन नूर का निधन, कैंसर से थी पीड़ित

मुंबई (आरएनएस)। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की कजिन सिस्टर नूर जहां का मंगलवार को निधन हो गया है। नूर जहां के छोटे भाई मंसूर ने इस खबर को कंफर्म किया है। आपको बताते जाए कि नूर जहां लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रही थीं। मंसूर ने बहन की मौत की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि नूर लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं। आपको बताते जाए कि नूर शाहरुख खान की चचेरी बहन थीं, नूर जहां पाकिस्तान के पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार के पास मोहल्ला शाह वली कताल इलाके में रहती थीं। नूर उस वक्त चर्चा में रही थीं जब उन्होंने 2018 के आम चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उसे वापस ले लिया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सा गर्भपात (एमटीपी) (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने के लिए चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ उप-धाराओं का स्थानापन्न करना, मौजूदा गर्भपात कानून, 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिए गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता किए बगैर कड़ी शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल को पहले से और अधिक सख्ती से लागू करना है।

यह महिलाओं की सुरक्षा और सेहत की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है और इससे बहुत महिलाओं को लाभ मिलेगा। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दी गई जिनमें भ्रूण संबंधि विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई। जिन महिलाओं का गर्भपात जरूरी है उनके लिए गर्भावस्था की अवधि में प्रस्तावित बढ़ोतरी उनके आत्म-सम्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता और इंसाफ को सुनिश्चित करेगी।